1. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 664/2026, dt.04.04.2026. Md. Azamuddin vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

जमानत आवेदन संख्या–664/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. मो0 अजमुद्दीन, वल्द इस्लाम मियां उम्र 40 वर्ष

ग्राम–नया टोला,ढाका थाना–ढाका, जिला– पूर्वी चम्पारण .....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री तनवीर हैदर,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

04.04.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त मो0 अजमुद्दीन की ओर से ढाका थाना कांड संख्या–338/2018, विचारण वाद संख्या– 874/2019, धारा– 147, 149, 323, 504, 283, 427, 435, 353, 290, 291 भा.दं.सं. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 23.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक पुलिस निरीक्षक, अर्जुन कुमार, ढाका के द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 27.08.2018 को उसे सूचना मिली कि ढाका थाना कांड संख्या– 336/2018 के मृतका शोभा देवी के शव को अन्त्य परीक्षण कराकर लौट रहे परिजनो/ग्रामीणों के द्वारा शव को रेफरल अस्पताल ढाका के पास ढाका चिरैया मुख्य पथ को जाम कर हंगामा किया जा रहा है। इस सूचना पर शस्त्र बल के साथ मुख्य सड़क पर जाम लगाए गए जाम स्थल के लिए प्रस्थान किया । जाम स्थल पर आया तो देखा कि करीब 100–150 की संख्या में लोग नाजायज मजमा बनाकर लाठी से लैश होकर मृतका शोभा देवी के शव को खाट पर रखकर चिरैया ढाका पक्की सड़क को जाम कर दिए है तथा उपद्रवी तत्वों द्वारा वाहनो को तोड़–फोड़ किया जा रहा है। चालको को गाली–गलौज एवं मारपीट किया जा रहा है एवं सड़क पर टायर जलाकर

आगजनी किया जा रहा है। उपद्रवी भीड़ में शामिल लोगो को जब मना किया गया तब वे सभी पुलिस पार्टी के सदस्यों के साथ उलझ गए एवं पुलिस के विरूद्ध नारेबाजी करने लगे, उसके द्वारा भीड़ में शामिल लोगो से सड़क जाम हटाने के लिए बार–बार कहा गया लेकिन वेलोग जाम नहीं हटाए। सड़क जाम में शामिल लोगों में से कुछ की पहचान स्थानीय चौकीदार सीताराम सिंह तथा अन्य सहयोगियों के द्वारा 12 व्यक्तियों की पहचान किया गया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 4945/2025 दाखिल किया था, जो खारिज किया जा चुका है। इसके सिवाय अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि दिनांक 25.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उसे पुलिस द्वारा इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है , न ही उसे घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया है और न ही उसके पास से कोई अपराधारोपक सामग्री बरामद हुआ है। आवेदक का नाम अनुसंधान के क्रम में आया है, जिसकी जॉच किए बिना ही आवेदक को अभियुक्त बना दिया गया है। धारा– 353 भा.दं.सं. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। धारा– 353 भा.दं.सं. का आरोप को आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है क्योंकि आवेदक द्वारा कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं किया गया है। सह अभियुक्त मुन्ना भगत एवं तीन अन्य को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध संख्या– 31185/2021 के द्वारा अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। सह अभियुक्त अशोक भगत को जमानत आवेदन संख्या– 2617/2025 एवं सह अभियुक्त नरेश साह को जमानत आवेदन संख्या– 77/2026 के द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आवेदक के विरूद्ध उससे कमतर श्रेणी का आरोप है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित एवं केस डायरी की सच्ची प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है। आवेदकगण का नाम अनुसंधान के क्रम में कांड दैनिकी के कंडिका– 26, 27, 28 में साक्षियों द्वारा प्रकट किया गया है जिसमें घटनास्थल पर आवेदक एवं अन्य 21 अप्राथमिकी अभियुक्तो के घ टनास्थल पर मौजूद रहना बताया गया है। आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है तथा उनके विरूद्ध कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। सह अभियुक्तो को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध संख्या– 31185/2025 के द्वारा अग्रिम जमानत एवं जमानत आवेदन संख्या– 2717/2025 तथा 77/2026 के द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। जमानत आवेदन की कंडिका–3 एवं कांड दैनिकी की कंडिका– 136 के अनुसार आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 23.02.26 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, आरोप की प्रकृति, आवेदक का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त मो0 अजमुद्दीन द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है किः–

1. आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

2. जमानतदारो में से एक जमानतदार आवेदकगण का नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन एवं पत्नी होंगे।

3. आवेदकगण जमानत से मुक्ति के पश्चात् यदि इसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो जमानतदार इसकी सूचना से संबंधित शपथ–पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि शर्तो के दुरूपयोग के आधार पर आवेदक का बंध–पत्र रद्द कर सकेगे।

4. आवेदकगण किसी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा करता है तो उसका बंध–पत्र रद्द किया जा सकता है।

5. आवेदकगण जमानत से मुक्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के अन्दर इस

आदेश की प्रति के साथ स्थानीय थाना के थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होगा एवं आरोप गठन होने तक हर पखवाड़े में थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएगा ।

लेखापित

ह0/—
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांकः— 04.04.2026